

**क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान,**  
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,  
ए.जी. कॉलोनी, बजाज नगर,  
जयपुर , 302 015

No.RTI/Jpr/F.5/K-48/MiscReturns/2020-21/

दिनांक : 03.07.2020

**नोटिस सं. 12**

इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस सं. 35, दिनांक 21.09.2020 के क्रम में लेख है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया था परन्तु वर्तमान में उक्त समिति के दो सदस्यों के स्थानान्तरण के उपरांत महानिदेशक महोदय द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन गठन किया है। जिसके संबंध में इस कार्यालय के सभी महिला कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं को यह सूचित किया जाता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए शिकायत समिति 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और पुनर्वित्त), अधिनियम 2013) संचालन में है। अधिनियम में परिभाषित किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न से पीड़ित कोई भी महिला कर्मचारी/प्रशिक्षु द्वारा शिकायत को समिति के किसी सदस्य के ध्यान में लाया जा सकता है। शिकायतकर्ता को अपने उच्च अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करने का भी विशेषाधिकार होगा। शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

सुश्री मीना बिष्ट, वरिष्ठ उप महालेखाकार :- अध्यक्ष

श्री राकेश विजयवर्गीय, वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी :- सदस्य ( मोबाइल न. 9328869007)

श्री दीपक सैनी, सहा.प्रशा. अधिकारी :- सदस्य ( मोबाइल न. 9785092290)

श्री मलखान मीना, वरिष्ठ लेखापरीक्षक :- सदस्य ( मोबाइल न. 9971720804)

सुश्री रचना शर्मा(NGO) :- सदस्य ( मोबाइल न. 8860632028)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

1. फाइल प्रति
2. सूचना पट्ट
3. कार्यालय आदेश पत्रावली
4. व्यक्तिगत(समिति सदस्य )

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)